न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती चंचल वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या–02 / 2020

1. रामेश्वरलाल पुत्र रामलाल जाति कुम्हार निवासी थालड़का तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थी

बनाम

1. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर ।
2. पंचायत समिति नोहर जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर ।
3. ग्राम पंचायत थालड़का जरिये सरपंच ग्राम पंचायत थालड़का तहसील नोहर।
4. भूपसिंह पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर ।

–अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः– 2-12-2022

1. प्रार्थी रामेश्वरलाल पुत्र रामलाल जाति कुम्हार निवासी थालड़का तहसील नोहर ने एक निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 09.7.2019 प्रस्ताव संख्या 1/(VIII) दिनांक 9.7.2019 अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर प्रस्तुत की एवं निवेदन किया कि गांव थालड़का तहसील नोहर में प्रार्थी के पिता रामलाल पुत्र खेताराम जाति कुम्हार निवासी थालडका तहसील नोहर का एक पट्टा संख्या 65 दिनांक 26.1.1973 एक भूखण्ड 45 गुणा 120 फुट का था । जो सदामत से प्रार्थी के पिता रामलाल के कब्जा व उपयोग व उपभोग में रहा प्रार्थी के पिता फौत हो चुके है इसलिए वर्तमान उपरोक्त भूखण्ड प्रार्थी के कब्जा में चला आ रहा है।

2. यह कि प्रार्थी के पिता के पट्टा शुदा प्लॉट के विरूद्व अप्रार्थी संख्या–4 भूपसिंह पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर ने एक अपील अप्रार्थी संख्या–1 अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर में इस प्रकार प्रस्तुत की, कि गांव थालड़का की आबादी के पश्चिम की और अपीलान्ट की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि के पूर्व में उतर से दक्षिण 120 फुट पूर्व से पश्चिम 12 फुट का भूखण्ड जो गांव की आबादी क्षेत्र में है पर लगभग 50–60 साल से अधिक समय से अपीलान्ट के पिता हरीराम काबिज रहे। अब 3 वर्ष पूर्व अपीलान्ट के पिता फौत हो चुके है। उनके फौत होने के पश्चात अपीलान्ट काबिज चला आ रहा है। तथा भूखण्ड पर दीवार व कमरा तामीर करके भूखण्ड पर लगातार बिना किसी बाधा के शान्ति पूर्वक उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। दिनांक 29.6.2019 को अपीलान्ट अपने भूखण्ड पर अतिरिक्त निर्माण कार्य करने लगा तो रामेश्वरलाल पुत्र रामलाल जाति कुम्हार निवासी थालड़का ने निर्माण कार्य करने से मना किया और कहा कि उक्त जगह का उसके पिता रामलाल के नाम से पटटा शुदा है गावं थालड़का पूर्व में ग्राम पंचायत ढण्ढेला के अन्तर्गत था। पंचायतो के पुनर्गठन होने से गांव थालड़का, ग्राम पंचायत थालडका के अधीन आ गया जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 28.6.2019 को प्राप्त हुई जिससे अपीलान्ट को पता चला कि रेस्पो. रामेश्वरलाल के पिता रामलाल के पक्ष में ग्राम पंचायत ढण्ढेला द्वारा दिनांक 26.1.1973 का पटटा जारी किया हुआ है। जिसमें अपीलान्ट के 12 फुट गुणा 120 फुट जगह शामिल है। अतः अपीलांट ने रामलाल के नाम से जारी पटटे को खारीज करने हेतु अपील प्रस्तुत की। अपील दर्ज की गई और

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। विवादित स्थल का मौका निरीक्षण कमेटी से मौका मुआयना करवाया गया। पक्षकारान उपस्थित आये व उनको सुनवाई के समुचित अवसर दिये गये तथा उभय पक्ष को सुनकर और प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति की बैठक दिनाक 09.7.2019 के प्रस्ताव संख्या 1/(VIII) द्वारा सर्वे सम्मति से निर्णय के अनुसार रेस्पो. रामेश्वरलाल के पिता रामलाल के पक्ष में दिनांक 26.1.1973 को 45 फुट गुणा 120 फुट जारी पट्टा भूखण्ड के पश्चिम की और 12 फुट गुणा 120 फुट की हद तक पट्टा खारीज कर दिया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की गई।

3. यह कि अप्रार्थी संख्या–1 अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर का आदेश दिनांक 09.7.2019 विधि व तथ्य के विरूद्व है तथा बिना सुनवाई किये मनमाने ढंग से पारित किया गया आदेश है तथा आदेश दिनांक 09.7.2019 विधि व तथ्यों के विरूद्व है कतई गलत तौर से किया गया आदेश होने के कारण प्रार्थी निम्न आधारो पर निगरानी प्रस्तुत कर रहा है

(1) यह कि दिनाक 26.1.1973 को ग्राम पंचायत ढण्ढेला प्रार्थी के पिता रामलाल पुत्र खेताराम जाति कुम्हार निवासी थालड़का तहसील नोहर ने ग्राम थालडका में पट्टा संख्या 65 भूखण्ड 45 फुट गुणा 120 फुट पूर्णरूप से विधि प्रक्रिया अपना कर पट्टा राशि जमा कराकर जारी किया गया था। तभी से भूखण्ड प्रार्थी के पिता रामलाल के उपयोग व उपभोग में चलता रहा है। एवं रामलाल के फौत होने के पश्चात पट्टा शुदा भूखण्ड प्रार्थी के कब्जा में उपयोग व उपभोग में चला आ रहा है। जिसमे पुराना मकानात बने हुये है प्रार्थी के पिता का पट्टा पूर्णरूप से विधि सम्मत दस्तावेज है पट्टा के किसी भी भाग को अप्रार्थीगण संख्या–1 को निरस्त करने का अधिकार नही था। अप्रार्थी संख्या–1 का आदेश दिनांक 09.7.2019 निरस्त योग्य है ।

(2) यह कि अप्रार्थी संख्या–1 का आदेश दिनांक 09.7.2019 कतई मनमाना तथा अस्पष्ट आदेश है। इसलिए निरस्त योग्य है।

(3) यह कि प्रार्थी के पिता के नाम का पट्टा थालड़का की आबादी भूमि में है तथा प्रार्थी के पट्टा शुदा भूमि के पश्चिम मे अप्रार्थी संख्या–4 की कृषि भूमि है, जो प्रार्थी के पिता के नाम से पट्टा में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या–4 को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए उसकी अपील कतई विधि विरूद्व स्वीकार की गई है।

(4) यह कि दिनांक 26.1.1973 में ग्राम पंचायत ढण्ढेला ने पटटा संख्या 65 पूर्णरूप से विधि अनुसार खाली जगह का जारी किया था। तथा पटटा की राशि जमा कराई थी। उस पट्टे के किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार अप्रार्थी संख्या–1 को नहीं था। इसलिए अप्रार्थी संख्या–1 का आदेश दिनांक 09.7.2019 निरस्त योग्य है।

(5) यह कि अप्रार्थी संख्या–1 ने अपील में प्रार्थी को सुनवाई का कोई मौका नही दिया, न ही सबूत व साक्ष्य पेश करने का मौका दिया। प्रार्थी ने माननीय सिविल न्यायालय का स्टे आदेश अन्य दस्तावेज पेश किये थे, जो मिसल में शामिल नही किए तथा ना ही प्रकरण अपील की आगामी तारीख पेशी बताई। प्रार्थी को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया व ना ही वादग्रस्त भूखण्ड का मौका निरीक्षण किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 ने मनमाना आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है।

(6) यह कि प्रार्थी दिनांक 09.7.2019 को अप्रार्थी संख्या–1 के समक्ष पेश होकर माननीय सिविल न्यायालय का स्टे आदेश अन्य कागजात पेश किये और साक्ष्य व अन्य सबूत के लिए अवसर चाहा तो अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रार्थी को ना कोई तारीख पेशी बताई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

ना ही आदेश के बाबत कुछ भी बताया इसलिए अप्रार्थी संख्या–1 का आदेश निरस्त योग्य है।

(7) यह कि अप्रार्थी संख्या–4 ने सरपंच ग्राम पंचायत व पंचायत समिति से मिलकर कार्यवाही की है।

(8) यह कि दिनांक 14.10.2019 को सरपंच ग्राम पंचायत ने प्रार्थी को बताया कि आदेश दिनांक 09.7.2019 में कर दिया है। प्रार्थी दिनांक 15.10.2019 पंचायत समिति नोहर आकर आदेश का पता किया और निर्णय की नकल प्राप्त की। प्रार्थी को आदेश दिनांक 09.7.2019 की जानकारी प्रथम दफा दिनांक 14.10.2019 को सरंपच से हुई थी। इसलिए निगरानी जानकारी से अन्दर मियाद पेश है।

(9) यह कि निगरानी न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार की है तथा 2/– रूपये की कोर्ट फीस पर तहरीर कर पेश है ।

अतः निगरानी प्रार्थी पेश कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपील भूपसिंह बनाम रामेश्वरलाल आदि अपील संख्या 17/2019 में अध्यक्ष प्रशासन एव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के आदेश दिनांक 09.7.2019 व प्रस्ताव संख्या 1/(VIII) दिनांक 09.7.2019 निरस्त फरमाया जावे।

4. निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर से रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी श्री सन्तलाल तिवाड़ी एडवोकेट एंव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–04 श्री मदन मोहन जोशी एडवोकेट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए पुनः निवेदन किया कि–

5. प्रार्थी के पिता रामलाल पुत्र खेताराम का पट्टा दिनांक 26.01.1973 का है। प्रार्थी के पिता रामलाल फौत हो चूके है। विवादित भूखण्ड वर्तमान में प्रार्थी रामेश्वरलाल के कब्जा में है। उक्त भूखण्ड का सिविल न्यायालय नोहर में प्रकरण पिछले 5–6 वर्षो से जैरकार है। अप्रार्थी संख्या–04 भूपसिंह पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी थालड़का की प्रार्थी के भूखण्ड के पास कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या–04 भूपसिंह पुत्र हरिराम विवादित भूखण्ड पर निर्माण कार्य करनें लगा तो प्रार्थी रामेश्वरलाल पुत्र रामलाल ने उसे रोका। प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य में रूकावट पैदा करनें पर अप्रार्थी संख्या–04 द्वारा दिनांक 01.07.2019 को अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर समक्ष अपील संख्या 17/2019 दायर की गई। अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 09.07.2019 को दिनांक 26.01.1973 को जारी पट्टा के हिस्सा 12 फुट गुणा 120 फुट पट्टा खारिज कर दिया गया। अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा अपील के अपील के संबध में प्रार्थी रामेश्वरलाल को सुनवाई हेतु कोई अवसर नहीं दिया गया। दिनांक 26.01.1973 को जारी पट्टा आबादी भूमि की पैमाईस के आधार पर जारी किया गया और प्रार्थी के वर्तमान में कब्जे में है। प्रार्थी के भूखण्ड के पश्चिम में रेस्पोडेन्ट संख्या–04 का खेत है। रेस्पोडेन्ट संख्या–04 व प्रार्थी के पट्टा शुदा भूखण्ड के बीच कोई भूमि शेष नहीं है। प्रार्थी का पट्टा 50 वर्ष पुराना है एंव विधि सम्मत बना हुआ है। इतनी देरी से पेश यह अपील भी म्याद बाहर है। दिनांक 09.07.2019 को अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा निर्णय किया गया जिसकी की आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी ने निर्णय दिनांक 09.07.2019 को खारिज करनें का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–04 द्वारा अपनी बहस में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अप्रार्थी संख्या–04 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर में अपील दायर की गई। अपील प्रस्तुत होनें पर अधीनस्थ न्यायालय की कमेटी द्वारा विवादित भूखण्ड को मौका निरीक्षण किया गया और मौके पर ही विवादित भूखण्ड का नक्शा तैयार किया गया। यदि प्रार्थी रामेश्वरलाल ने अधीनस्थ न्यायालय की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर नक्शा तैयार करते समय कोई आपति थी, तो उसी समय आपति दर्ज करवानी थी। लेकिन प्रार्थी रामेश्वरलाल द्वारा कोई आपति जाहिर नहीं की गई। यदि प्रार्थी को कमेटी मौका रिपोर्ट पर कोई आपति थी तो अधीनस्थ न्यायालय में पुनः अपना पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन प्रार्थी रामेश्वरलाल पुत्र रामलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं किया। दिनांक 26.01.1973 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा का रिकार्ड ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है। दिनांक 26.01.1973 को जारी पट्टा फर्जी है क्योंकि इसका ना तो रोकड़ बही में कोई रिकार्ड है, ना ही पट्टा बही में है। ग्राम पंचायत में इस पट्टे की कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं है। यह पंचायती राज एक्ट के अनुसार नहीं बना हुआ है। जहां तक म्याद का प्रश्न है, अवैध पट्टो पर मियाद लागू नहीं होती है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–04 ने निम्न नजीर प्रस्तुत की–

1. 2009(1) DNG page no.262
2. 2018 (1) DNG page no. 111
3. 2018(2) DNG page no. 497

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर में दर्ज अपील संख्या 17/2019 बअनवानी भूपसिंह बनाम रामेश्वर में दिनांक 09.07.2019 को पारित निर्णय की आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं। अपील पत्रावली का अध्ययन करनें पर पाया कि मौका निरीक्षण हेतु समिति द्वारा किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं किये गये और मौका निरीक्षण हेतु किसे अधिकृत किया गया, यह भी मौका रिपोर्ट से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में इस रिपोर्ट की विधि मान्यता संदेहास्पद प्रतीत होती है। जहां तक पट्टे संबधी रिकार्ड का प्रशन है, पट्टे की प्रति देखने से ज्ञात होता है कि यह पट्टा ग्राम पंचायत ढंढेला द्वारा जारी किया गया है। परन्तु ग्राम पंचायत ढंढेला से पट्टा संबधि रिकार्ड के बारे में किसी प्रकार का जवाब ग्राम पंचायत ढंढेला द्वारा नहीं दिया गया है जबकि ग्राम पंचायत ढंढेला को अपील में पक्षकार भी बनाया गया था। ऐसे में पूर्ण तथ्यों के अभाव में पट्टे की विधि मान्यता पर किसी प्रकार का निर्णय संभव नहीं है। मौका रिपोर्ट पर किसी प्रकार की तिथि अंकित नहीं है एंव मौका फर्द भी नहीं बनाई गई है। अपील पत्रावली का अध्ययन करनें से ज्ञात होता है कि पक्षकारों को किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया गया एवम एक की तारीख पेशी में अपील निस्तारित कर दी गई। अपील में प्रार्थी का पृष्ठ संख्या–02 पर स्वंय का कथन है कि उसके द्वारा पट्टे की नकल चाही गई तो दिनांक 26.06.2019 को पट्टे की नकल प्राप्त हुई। ऐसे में पट्टे को अवैध कहा जाना अपने आप में प्रशनचिन्ह् कारित करता है। सिविल न्यायालय में मामले की सुनवाई जारी होने के तथ्यों को भी अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर द्वारा नहीं माना गया। अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर की इस प्रकार की जल्दबाजी अपील की प्रक्रिया पर प्रशन चिन्ह लगाती है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–04 द्वारा निम्न नजीरें प्रस्तुत की गई–

(A) 2009(1) DNG page no.262,
(B) 2018 (1) DNG page no. 111,
(C) 2018(2) DNG page no. 497

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–04 द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी अध्ययन किया गया। यह नजीरें वर्तमान प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा नहीं होती है। अतः निगरानी प्रकरण संख्या 02/2020 बअनवानी रामेश्वरलाल बनाम अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाकर विचाराधीन अपील संख्या 17/2019 अनवान भूपसिंह बनाम रामेश्वरलाल आदि में अध्यक्ष प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति नोहर के आदेश दिनांक 09.07.2019 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा दिनांक 02.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/12/22

(चंचल वर्मा, आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)